विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(प्रश्न अनुभाग)

संख्या : 276/वि0स0/07(प्र)/2012

लखनऊ, दिनांक 13 अप्रैल, 2015

प्रेषक,

श्री प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

सेवा में,

समस्त माननीय सदस्यगण,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विषय :--उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा के वर्ष 2015 के प्रथम सत्र के सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत प्रश्न तथा सूचनाएं।

महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-530/वि0स0/संसदीय/09(सं0)/2012, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 2015 से उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 2015 के प्रथम सत्र का सत्रावसान कर दिये जाने के फलस्वरूप आपके द्वारा अभिसूचित लम्बित सभी प्रश्न तथा उक्त नियमावली के नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा हेतु दी गई सूचनाएं, यदि कोई हों, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-18 के अन्तर्गत व्यपगत हो गयी हैं परन्तु जो प्रश्न कार्य-सूची में प्रविष्ट हो चुके हैं और विगत सत्र की समाप्ति पर स्थगित किये गये थे अथवा उत्तर के लिये लम्बित थे, वे व्यपगत नहीं होंगे।

2-सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत प्रश्नों के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (चौदहवां संस्करण) के निदेश संख्या-28 (प्रति संलग्न) के अनुसार मुझे आपको यह भी सूचित करना है कि सत्रावसान की तिथि तक जितने भी प्रश्न स्वीकृत हो गये हैं उन सबके लिखित उत्तर शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा सत्रावसान की तिथि से एक माह के अन्दर प्रश्नकर्ता सदस्यों को प्रेषित किये जा सकते हैं। इस प्रकार प्रेषित किये गये उत्तर की एक प्रति विधान सभा सचिवालय को भी भेजी जानी अपेक्षित है। जिन प्रश्नों के लिखित उत्तर उक्त कालावधि के भीतर विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हो जायेंगे, उन्हें उत्तरित मान लिया जायेगा।

3-यदि उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित किसी प्रश्न का लिखित उत्तर सत्रावसान की तिथि के एक माह के भीतर प्रश्नकर्ता को न मिले या वह ऐसे प्रश्न के लिखित उत्तर से सन्तुष्ट न हों और वह तद्विषयक प्रश्न को पुनः पूछना आवश्यक समझें तो नये सिरे से ऐसे प्रश्न को लिखकर प्रस्तर-2 में उल्लिखित अवधि के पश्चात् विधान सभा सचिवालय को भेज सकते हैं। इसके साथ ही सदस्यगण अपने नये प्रश्नों की भी सूचना दे सकते हैं।

4-माननीय सदस्यों द्वारा उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में केवल यह लिखकर भेजने पर कि "मेरे व्यपगत प्रश्नों को पुनर्जीवित कर दिया जाय" उन पर नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।